

फर्द अहकाम

रामरतन बनाम अर्जुन वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या 19/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 (13) धारा 151 सी.पी.सी.

दिनांक भाजा या हार्यवाही	आजा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/2/22	<p>प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र श्री रामकिशोर यादव एडवोकेट ने पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 14-3-22 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>	
4/3/22	<p>कबील जागी 390। ऊगाथ/गण की तलबी को 14/3/22 को पेश किया गया। पत्रावली दिनांक 11-3-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>	
11/3/22	<p>उपरोक्त उपस्थित/अभिभाषक सच ने व्यापिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>कर</u> हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 14/3/22 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">(साडर)</p>	
17/3/22	<p>पत्रावली को पेश करे। उक्त/उक्त के वकील/अधी हवा जागी <u>कर</u> उपस्थित नहीं है। लगातार को <u>कर</u> उपस्थित नहीं होगे से उक्त अप्राप्तवाही जात है। <u>कर</u> (आदि) जिया जाता है। पत्रावली को <u>कर</u> को <u>कर</u> उपस्थित इपतर है।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)</p>	